



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, शनिवार, 15 सितम्बर, 2012 ई0

भाद्रपद 24, 1934 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

संख्या 100/यू0के0डी0-लो0स0/1/2012

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2012

### अधिसूचना

सं0: 100/यू.के.डी.-लो0स0/1/2012:- यतः, उत्तराखण्ड राज्य से लोक सभा में उस राज्य के 1-टिहरी गढ़वाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री विजय बहुगुणा का स्थान उनके त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप तारीख 23 जुलाई, 2012 को रिक्त हो गया है ; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1), तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा -

(अ) उत्तराखण्ड राज्य में उक्त 1-टिहरी गढ़वाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 16 अक्टूबर, 2012 (मंगलवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें ;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में -

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 22 सितम्बर, 2012 (शनिवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 24 सितम्बर, 2012 (सोमवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 26 सितम्बर, 2012 (बुधवार);
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा : 10 अक्टूबर, 2012 (बुधवार); और
- (ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 16 अक्टूबर, 2012 (मंगलवार);

नियत करता है; और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,  
शंगारा राम,  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,  
राधा रतूड़ी,  
सचिव एवं  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No. 100/U.K.D.-HP/1/2012  
Dated New Delhi, September 15, 2012

NOTIFICATION

No. 100/UKD-HP/1/2012:- WHEREAS, the seat of Shri Vijay Bahuguna, in the House of the People elected from 1-Tehri Garhwal Parliamentary Constituency, in the State of Uttarakhand, has become vacant on 23<sup>rd</sup> July, 2012 by the reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 149, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

(A) **calls upon** the said 1-Tehri Garhwal Parliamentary Constituency in the State of Uttarakhand to elect, before the 16<sup>th</sup> October, 2012 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

(a) the 22<sup>nd</sup> September, 2012 (Saturday), as the last date for making nominations;

(b) the 24<sup>th</sup> September, 2012 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 26<sup>th</sup> September, 2012 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 10<sup>th</sup> October, 2012 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 16<sup>th</sup> October, 2012 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

SHANGARA RAM,  
Principal Secretary,  
Election Commission of India.

By Order,

RADHA RATURI,  
Secretary and  
Chief Election Officer.